

क्रम संख्या-76

पजीकृत संख्या-५०९० / सी०जी० / सी०सी०एन० / ३० / २००० -११

(लाइसेन्स टू प्रिंट विदाउट प्रीवेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 10 मई, 2011 ई०

बैशाख 20, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

संख्या 1192 / XVII(4) / 2011 / 230 / 10

देहरादून, 10 मई, 2011

अधिसूचना

पृ० आ०-150

राज्यपाल, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 तथा राज्य के बच्चों के अधिकारों के रक्षोपायो/संरक्षण, बच्चों के प्रति किये जाने वाले अपराध अथवा बाल अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों के त्वरित गति से निस्तारण किये जाने तथा राष्ट्र निर्माण में बच्चों की महत्वपूर्ण एवं सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किये जाने हेतु विद्यमान 'प्रौढशिक्ष बाल विकास बोर्ड' को अधिक्रमित करते हुए 'उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग' का गठन करते हैं और उससे संबंधित विषयों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नवत् नियमावली बनाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2011 है।
- (2) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 10 मई, 2011 ई0 (नैशाख 20, 1933 शक सम्बत्)

परिगवाए

2. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—
 - (क) "आयोग" से "उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग" अभिप्रेत है;
 - (ख) "अध्यक्ष" से "उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग" के अध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - (ग) "सदस्य" से "उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग" के सदस्य अभिप्रेत है;
 - (घ) "सचिव" से "उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग" के सचिव अभिप्रेत है;

आयोग के सदस्य

3. (1) अध्यक्ष—बाल कल्याण को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा।
- (2) सदस्य—आयोग में 06 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम दो महिलायें होंगी। सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।
 - (क) शिक्षा;
 - (ख) बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण अथवा बाल विकास;
 - (ग) बाल न्याय अथवा उपेक्षित बच्चों अथवा विकलांग बच्चों की देखभाल;
 - (घ) बाल श्रम उन्मूलन अथवा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चे;
 - (ङ) बाल मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र;
 - (च) बाल विधि से संबंधित।

आयोग का मुख्यालय

4. आयोग का मुख्यालय देहरादून में होगा।

अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति

5. राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना के द्वारा अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित 03 सदस्यीय समिति की संस्तुति पर की जायेगी। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा-शर्तों का निर्धारण उनकी नियुक्ति से पूर्व किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल

6. (1) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष तक होगा।
- (2) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दो कार्यकाल से अधिक नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- (3) आयोग के अध्यक्ष 85 वर्ष की आयु पूरी करने तक ही कार्य करेंगे।
- (4) आयोग के सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक ही कार्य करेंगे।
- (5) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को त्यागपत्र देकर पद त्याग कर सकते हैं।

वेतन एवं भत्ते

7. (1) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं देय भत्तों तथा सेवाओं की अन्य शर्तें वह होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।
- (2) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन एवं भत्तों तथा सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा।

- आयोग का सचिव**
8. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आयोग के सचिव की नियुक्ति करेगी, जो शासन के सचिव के समान वेतनमान का होगा तथा आयोग के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यकतानुसार अन्य कार्मिकों की नियुक्ति भी की जायेगी।
- (2) आयोग के सचिव एवं अन्य कार्मिकों के वेतन एवं देय भत्तों तथा सेवाओं की अन्य शर्तें वह होंगी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जायेगा।
- आयोग के अन्य अधिकारी एवं स्टाफ**
9. आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे, जो परिशिष्ट 'क' में दर्शाए गए हैं।
- वार्षिक प्रतिवेदन**
10. आयोग को प्रतिवर्ष राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आयोग को सौंपे गये अन्य महत्वपूर्ण विषयों, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे पर भी समय-समय पर प्रतिवेदन देना होगा।
- लेखांकन एवं लेखा परीक्षण**
11. (1) आयोग को अपने आय-व्ययकों एवं अन्य अभिलेखों का, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से तैयार किये गये प्रारूप पर अद्यतन अभिलेखिकरण करना होगा तथा वार्षिक विवरण देना होगा।
- (2) आयोग के लेखाओं का समय-समय पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण किया जायेगा। इस कार्य पर होने वाले व्यय को आयोग द्वारा वहन किया जायेगा।
- (3) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को राजकीय लेखाओं के निरीक्षण करने के विशेषाधिकार की भांति किसी भी समय आयोग के भण्डार, लेखाओं, सम्बन्धित प्रमाणकों एवं अन्य अभिलेखों एवं दस्तावेजों के साथ-साथ किसी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार होगा।
- (4) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित लेखाओं की रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को वार्षिक रूप से प्रेषित की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित रिपोर्ट को विधान मण्डल के पटल पर रखा जायेगा।
- आयोग के वेतन, भत्ता तथा सेवा-शर्तें**
12. राज्य सरकार, आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं सचिव के वेतन, भत्तों, सेवा शर्तों में एवं कार्यव्यवहार के नियमों में संशोधन कर सकती है।
- आयोग का कार्य**
13. आयोग को निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करना होगा :-
- (1) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी उपायों की समीक्षा करना तथा इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना;
- (2) प्रतिवर्ष या समय-समय पर, जैसा कि आयोग उचित समझे, पर केंद्र सरकार को बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधी उपायों पर प्रगति आख्या मेजना;
- (3) बाल अधिकारों के हनन की जांच करना तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही की अनुशंसा करना;

- (4) बात्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारण जैसे आतंकवाद, साम्प्रदायिक, हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, धरेलू हिंसा, एड्स, बाल व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा शोषण, पौनोद्गाही तथा वैश्यावृत्ति आदि मामलों का परीक्षण कर निदान हेतु उपायों की अनुशंसा करना;
- (5) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों में संरक्षण के साथ ही अवसाद ग्रस्त बच्चे, अपेक्षित एवं शोषित बच्चों, वादग्रस्त बच्चे, बाल अपराधी, परिवार विहीन बच्चे एवं कैंदियों के बच्चों के लिए उचित चिकित्सा संबन्धी एवं अन्य उपायों की अनुशंसा करना;
- (6) विभिन्न सन्धियों एवं अन्य अन्तरराष्ट्रीय अभिकरणों का अध्ययन करना एवं समय-समय पर वर्तमान नीतियों की समीक्षा करना, विभिन्न कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करना तथा बाल हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना;
- (7) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध एवं कार्य को प्रोत्साहित करना;
- (8) बाल अधिकारों के संबन्ध में, समाज के सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना तथा बाल अधिकारों से संबंधित वर्तमान रूपायों का, प्रकाशनों, मीडिया, शोषणों एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से जागरूकता का प्रसार करना;
- (9) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित अथवा किसी स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित बाल संरक्षण गृहों, बाल सुधार गृहों एवं बच्चों से संबंधित अन्य संस्थानों, जहाँ पर बच्चों को इलाज, सुधार एवं संरक्षण हेतु रखा गया है, का निरीक्षण करना;
- (10) ऐसे मामलों में शिकायतों की जांच करना और नोटिस जारी करना, जहाँ—
- (क) बाल अधिकारों का हनन अथवा उल्लंघन हो;
- (ख) बच्चों के विकास एवं संरक्षण हेतु निर्मित विधियों का क्रियान्वयन न होना;
- (ग) बच्चों के कठोर शारीरिक दण्डों के निवारण के लिये बनायी गयी नीति, निर्देशिका अथवा निर्देश, जिनका उद्देश्य बच्चों का कल्याण एवं लाभ पहुँचाना है, का भली भाँति क्रियान्वयन न होना, ऐसे मामलों में सहज प्राधिकारी के साथ अर्थात्पय सुझाना;
- (घ) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक अन्य कार्य एवं उपरोक्त से संबंधित अन्य कार्य;
- (11) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31 के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षा संबन्धी प्रदत्त अधिकारों का अनुभवण, बच्चों को प्रदत्त अधिकारों/रूपायों का परीक्षण/समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संस्तुतियां करना, बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित शिकायतों की पृच्छा एवं निराकरण करना।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 10 मई, 2011 ई0 (वैशाख 20, 1933 शक सम्बत्)

5

परिशिष्ट 'क'
(कृपया नियम 9 देखिए)

क्र०/ग०	पदनाम	वेतनमान/मानदेय/ ग्रेड पे (रु. में)	पदों की संख्या	मर्ती का स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सचिव	37400-67000 ग्रेड पे 10000 (अधिकतम)	1	आई0ए0एस0/पी0सी0एस0/ अखिल भारतीय सेवा /केन्द्रीय सेवा अथवा अन्य राज्य राज्याधीन सेवा का अधिकारी, जो राज्य सरकार/शासन के सचिव के वेतनमान से कम का अधिकारी न हो, से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
2.	अ.गु सचिव	15600-39100 ग्रेड पे 5400 (अधिकतम)	1	प्रतिनियुक्ति द्वारा
3.	विधि अधिकारी	20000/- प्रतिमाह (अधिकतम)	1	सलाहकार (संविदा/आउटसोर्सिंग द्वारा)
4.	बाल मनोवैज्ञानिक	20000/- प्रतिमाह (अधिकतम)	1	सलाहकार संविदा/आउटसोर्सिंग द्वारा
5.	वरिष्ठ सहायक	-	1	आउटसोर्सिंग द्वारा
6.	कनिष्ठ सहायक	-	1	आउटसोर्सिंग द्वारा
7.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	-	1	आउटसोर्सिंग द्वारा
8.	सहायक लेखाकार	-	1	आउटसोर्सिंग द्वारा
9.	अनुसूचक	-	2	आउटसोर्सिंग द्वारा
	योग-		10	

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,
सचिव।

6 उत्तराखण्ड अध्यादेश गजट, 10 मई, 2011 ई0 (बैशाख 20, 1933 शक सम्वत्)

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1192/XVII(4)/2011/230/10, dated May 10, 2011 for general information :

No. 1192/XVII(4)/2011/230/10
Dated Dehradun, May 10, 2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005, for quick disposal of cases pertaining to safeguards/ protection of child right, crimes against children or violation of child rights to promote significant and active participation of children in nation building through dissolving the present State Child Development Board, the Governor is pleased to constitute Uttarakhand Commission for Protection of Child Rights and for implementation of subjects related thereto, makes the following rules:-

- Short title and Commencement 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Commission for Protection of Child Rights Rules, 2011
(2) These Rules shall come into force on the date of their publication in the Government Gazette.
- Definitions 2. In these rules, unless There in anything repugnant in the subjects or context-
(a) "Commission" means the Uttarakhand Commission for Protection of Child Rights;
(b) "Chairperson" means the chairperson of the Uttarakhand Commission for Protection of Child Rights;
(c) "Member" means the member of the Uttarakhand Commission for Protection of Child Rights;
(c) "Secretary" means the secretary of the Uttarakhand Commission for Protection of Child Rights;
- Members of the Commission 3. (1) Chairperson: A person who has made excellent contribution towards promotion of Child welfare shall be appointed as Chairperson.
(2) The Commission shall have 6 members, out of which minimum two would be women. For appointment as member of the Commission, experience of significant contribution in the following fields is necessary:-
(a) Education;
(b) Child Health, Care, Welfare or Child Development;
(c) Child justice or care of neglected or handicapped children;
(d) Elimination of child labour or support to children living under difficult circumstances;
(e) Child Psychology or Sociology;
(f) Related to child laws;

- Headquarters of Commission:-** 4. The Headquarters for the commission shall be in Dehradun.
- Appointment of the Chairperson and Members** 5. The State Government of Uttarakhand shall by notification of appoint the Chairperson and others Members of commission. The appointment of Chairperson and Members shall be made by State Govt. on the recommendation of a committee of 3 member constituted under the chairmanship of Hon'ble Minister, Women & Child Development, Uttarakhand. The conditions of services of the Chairperson and Members shall be determined before their appointment.
- Tenure of Chairperson and Members** 6 (1) The tenure of Chairperson and Members shall be for a term of three years from the date of assuming office;
 (2) The Chairperson and Member shall not be appointed for more than 2 terms;
 (3) The Chairperson of Commission can function till the age of sixty five years;
 (4) The Members of Commission can function till the age of sixty years;
 (5) The Chairperson or Members of Commission may, by submitting resignation letter addressed to the Government, resign from office at any time;
- Salary and Allowances** 7 (1) The salary and payable allowances and other conditions of service of Chairperson and Members of the Commission shall be such, as may be determined by the State Govt;
 (2) After appointment of Chairperson and Members, the salary and allowances and service conditions will not be altered to their disadvantage;
- Secretary of the Commission** 8 (1) The State Govt. shall appoint, by notification, Secretary to the Commission, who shall be equal to the Secretary to the State Govt.; and to facilitate effective implementation of the activities of Commission, other personnel shall be appointed, as required;
 (2) The salary and payable allowances and other conditions of service of Secretary and other personnel of the Commission shall be such as may be determined by the State Government;
- Other officials and staff of Commission** 9 There shall be other officials and staff for disposal of functions of the Commission, as shown in Annexure-A

8 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 10 मई, 2011 ई० (बैशाख 20, 1933 शक सम्बत्)

Annual Report 10 The Commission shall submit its annual report to the State Govt
In addition to this, from time to time, reports shall also be
submitted on other important subjects assigned to the
Commission, as the State Government deem fit.

Accounts and 11 (1) The Commission shall update the record of its statement of
Audit income and expenditure and other documents as per the formats
designed by the State Government in consultation with the
Comptroller and Auditor General and annual statement shall be
submitted to the Government;

(2) The accounts of the Commission shall be audited by the
Comptroller and Auditor General from time to time. The
expenditure in this activity shall be borne by the Commission;

(3) Similar to its special right to inspect Government accounts,
the Comptroller and Auditor General or representative
appointed by it shall have the right to inspect the stores,
accounts, supporting vouchers, other documents and
records and along with it shall have the right to inspect any
office.

(4) The report of verified accounts and audit report of Comptroller
and Auditor General or representative appointed by it, shall be
submitted to the State Government on annual basis. The State
Government, shall place the related reports before the State
Assembly;

Salary, 12 The State Government may revise the Salary, allowances and
allowances condition of service and rules of procedures, of the Chairperson,
and conditions of Member and Secretary of Commission.
service of
Commission

Functions of 13 The Commission shall perform the following the the Functions:-
Commission

- (1) Review the safeguards provide under laws for protection of child
rights and recommend measures for their effective implementation.
- (2) Submit to the Government of India, annually or at such other
intervals, as the Commission may deem fit, progress report on the
safeguards for protection of child rights.
- (3) Inquire into violation of child rights and recommend initiation of
proceedings in such cases.

- (4) Examine all factors that inhibit the enjoyment of rights of children affected by terrorism, communal violence, riots, natural disaster, domestic violence, HIV/AIDS, trafficking, maltreatment, torture and exploitation, pornography and prostitution and recommend appropriate remedial measures;
- (5) Look into the matters relating to children in need of special care an protection including children in distress, marginalized and disadvantaged children, children in conflict with law, juveniles, children without family and children of prisoners and recommend appropriate health and other remedial measures;
- (6) Study treaties and other international instruments and undertake periodical review of existing policies, programme and other activities on child rights and make recommendations for their effective implementation in the best interest of children;
- (7) To promote research and activities in the field of child rights;
- (8) Spread child rights literacy among various section of the society and promote awareness of the safeguards available for protection of these rights through publications, the media, seminars and other available means;
- (9) Inspect or cause to be inspected any juvenile custodial home, or any other place of residence or institution meant for children, under the control of the Government or any State Government or any other authority including any institution run by a social organization; where children are detained or lodged for the purpose of treatment, reformation or protection and take up with these authorities for remedial action, if found necessary;
- (10) Inquire complaints and issue notice in matters relating to:-
 - (a) Deprivation and violation of child rights;
 - (b) Non-implementation of laws providing for protection and development of children;
 - (c) Non-compliance of policy decisions, guidelines or instruction aimed at mitigating hardships to and ensuring welfare of the children and to provide relief to such children, recommending economic relief measures to the appropriate authority in such matters;
 - (d) Or take up other issues related to protection of child rights and other activities arising out of such matters.
- (11) Monitoring of the rights related to education of children, as provided under section 31 of the Right to Education Act, 2009, examine/review the safeguards provided for the protection of child rights and recommend measure for their effective implementation and to enquire and settle the complaints related to free and compulsory education of children.

Applicability 14 These rules shall not be deemed applicable to any activity related to State Child Development Board.

10

उत्तराखण्ड न्यायालय गजट, 10 मई, 2011 ई० (वैशाख 20, 1933 शक सम्वत्)

Annexure-A
Reference: Rule -9

S.No	Designation	Payband/ honoraria/ Gradepay(Rs.)	Number of Posts	Source of Appointment
01	Secretary	37400-67000 Grade Pay 10000 (maximum)	1	Deputation from I.A.S/ P.C.S/ All India Services / Central Services or officer of other State Services, whose Payband is not below the Secretary to State Government,
02	Under Secretary	15600-39100 Grade pay 5400 (maximum)	1	Deputation
03	Law Officer	20000/- monthly honoraria (maximum)	1	Consultant (outsourcing/ contract)
04	Child Psychologist	20000/- monthly honoraria (maximum)	1	Consultant (outsourcing/ contract)
05	Senior Assistant	-	1	through outsourcing
06	Junior Assistant	-	1	through outsourcing
07	Data Entry Operator	-	1	through outsourcing
08	Assistant Accountant	-	1	through outsourcing
09	Helper/Attendant	-	2	through outsourcing

By Order,

M. H. KHAN,
Secretary.